राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त राहुल, देवेन्द्र सिंह, मथुरा, राजा मिर्धा सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

इसी प्रकम पर फरियादी/आहतगण अन्जू, सोनू, जिलेदार, हरी, इन्दल, नरेश स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित है पक्षकारों के मध्य आपसी पृकति का विवाद है प्रकरण में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष को समझाइश दी गई।

प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही हेतु तहसील विधिक सेवा प्रॉधिकरण गोहद को रैफर किया जा रहा है।

रैफरल ऑर्डर जारी हो।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु कुछ देर पश्चात प्रस्तुत हो।

शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत उपस्थित।

प्रशिक्षित मीडिएटर से मीडिएशन सफल होने की रिपोर्ट प्राप्त।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक अव्यस्क आहत अन्जू द्वारा पिता हरी सिंह, सोनू, अव्यस्क आहत जिलेदार द्वारा पिता इन्दल सिंह, हरी, इन्दल, नरेश, निवासीगण :— ग्राम जलालपुरा, थाना—मौ, परगना—गोहद, जिला—भिण्ड स्वयं उपस्थित। आहतगण की पहचान उनके आधार—कार्ड पत्र से भी हो रही है। अभिलेख के आधार पर भी पहचान के संबंध फरियादीगण से पूछताछ की गई, जिससे न्यायालय उनकी पहचान के संबंध में संतृष्ट है।

फरिया<u>दी / आवेदक</u> ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323 / 34, 325 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द. सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया। साथ ही अव्यस्क आहतगण की ओर से उनके पिता द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक / आहतगण अन्जू, सोनू, जिलेदार, हरी, इन्दल,

अभियोजित अपराध की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. एवं आहत नरेश धारा 325/34 भा.द.सं. का न्यायालय की अनुमति से शमन करने हेतू सक्षम पक्षकार है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तृत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 / 34, 325 / 34 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323 / 34, 325 / 34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद